



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032022-233819
CG-DL-E-03032022-233819

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 906]
No. 906]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2022/ फाल्गुन 11, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2022/PHALGUNA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2022

का.आ. 936(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि वार्षिक योजना 2020-21 का तहत इपिसि मोड वर एनएच (ओ) के तहत उड़ीसा राज्य में एनएच-220 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 35.840 (तिरिं से राइरंगपुर सेक्शन) तक के 2- लेन को चौड़ीकरण और मजबूत करना, इसके द्वारा ऐसी भूमि अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करता है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् तहसीलदार, तिरिं को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-220 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 35.840 (तिरिं से राइरंगपुर खंड) तक भूमि के खंड के भीतर आने वाली संरचना के साथ या बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा		जिले का नाम: मयूरभंज			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: तिरिं					
गांव का नाम: बडडालीमा					
1	1146	निजी	घरबारी	0.0060001(एकर)	0.0024282
2	1147	निजी	घरबारी	0.0119999(एकर)	0.0048563
3	1148	निजी	घरबारी	0.0119999(एकर)	0.0048563
4	1149	निजी	घरबारी	0.0060001(एकर)	0.0024282
5	1149/2826	निजी	घरबारी	0.0060001(एकर)	0.0024282
गांव का नाम: दामडीही					
1	82/604	निजी	शारद-II	0.0099999(एकर)	0.0040469
गांव का नाम: धरमडीही					
1	1204	निजी	शारद-II	0.5120011(एकर)	0.2072036
2	1328/2151	निजी	शारद-II	0.0099999(एकर)	0.0040469
गांव का नाम: नाराणपुर					
1	176	निजी	घरबारी	0.0050001(एकर)	0.0020235
गांव का नाम: सानडालिमा					
1	1340	निजी	डाही-II	0.0550000(एकर)	0.0222582
2	1340/1488	निजी	घरबारी	0.0400001(एकर)	0.0161878
कुल				0.6740	0.2728

[फा. सं. RO/BBSR/11011/220/ORS/2019-20/618/BPD/3A1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2022

S.O. 936(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Widening and strengthening to two Lane with paved shoulder from Km. 0.000 to Km. 35.840 Km. of NH220 (Tiring to Rairangpur section) on EPC Basis in the state of ODISHA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Tahasildar, Tiring in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 35.840 Km. of NH-220 (Tiring to Rairangpur section) on EPC Basis in the district of MAYURBHANJ in the state of ODISHA.

State: ODISHA		District: MAYURBHANJ			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Tiring					
Village: Badadalima					
1	1146	Private	Gharabari	0.0060001(Acre)	0.0024282
2	1147	Private	Gharabari	0.0119999(Acre)	0.0048563
3	1148	Private	Gharabari	0.0119999(Acre)	0.0048563
4	1149	Private	Gharabari	0.0060001(Acre)	0.0024282
5	1149/2826	Private	Gharabari	0.0060001(Acre)	0.0024282
Village: Damadihi					
1	82/604	Private	Sarada-II	0.0099999(Acre)	0.0040469
Village: Dharamdihi					
1	1204	Private	Sarada-II	0.5120011(Acre)	0.2072036
2	1328/2151	Private	Sarada-II	0.0099999(Acre)	0.0040469

Village: Naranpur					
1	176	Private	Gharabari	0.0050001(Acre)	0.0020235
Village: Sanadalima					
1	1340	Private	Dahi-II	0.0550000(Acre)	0.0222582
2	1340/1488	Private	Gharabari	0.0400001(Acre)	0.0161878
Total				0.6740	0.2728

[F. No. RO/BBSR/11011/220/ORS/2019-20/618/BPD/3A1]

RAJESH GUPTA, Director